कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जशपुर (छ.ग.)

—: प्रेस विज्ञप्तिः—

क्रमांक / 204 / निर्वाचन / 2023 जशपुर, दिनांक 12/6/2023

छ.ग. शासन विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग के पत्र क्र. 241 / स्था. / वि.स.नि. / 2023 / 1651 रायपुर, दिनांक 11.05.2023 अनुसार विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के अतिरिक्त कार्य संपन्न कराने हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय एवं रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के लिए अस्थायी पदों हेतु दिनांक 01.06.2023 से 30.11.2023 तक की अवधि के लिए सहायक ग्रेड 03 (संविदा) के 05 पदों एवं भृत्य (कलेक्टर दर) के 05 पदों की स्वीकृति अनुसार पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन दिनांक 20.06.2023 तक आमंत्रित किया जाता है।

ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु जिला जशपुर के वेबसाईट https://jashpur.nic.in/ में मेनू नोटिस (Notice) के सबमेनू भर्ती (Recruitment) में लिंक दिनांक **20.06.2023** तक उपलब्ध रहेगी। विज्ञापन की विस्तृत विवरण जिले के वेबसाईट https://jashpur.nic.in/ में अपलोड है या कार्यालयीन समय पर जिला कार्यालय के सूचना पटल पर देखा जा सकता है।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला—जशपुर (छ.ग.)

पृ0 क्रमांक / 204-A / निर्वाचन / 2023 जशपुर, दिनांक 12/6/2023

प्रतिलिपि :—

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, जनसंपर्क, रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं जिला निर्वाचन कार्यालय अंतर्गत सहायक ग्रेड—3 / चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए संविदा / कलेक्टर दर में भर्ती हेतु विज्ञापन 2—दैनिक समाचार पत्रों में इसका संक्षिप्त प्रकाशन कर समाचार पत्र की प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु भेजने का कष्ट करें।
3. आयुक्त, सरगुजा संभाग, सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जशपुर की ओर सूचनार्थ। जिले के वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
5. सहायक संचालक, जनसम्पर्क जशपुर की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पटल में चस्पा हेतु।
6. जिला रोजगार अधिकारी, जशपुर की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पटल में चस्पा हेतु।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला—जशपुर (छ.ग.)

13-6-23

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जशपुर (छ.ग.)

//विज्ञापन//

क्रमांक/203/स्था./सामा.निर्वा./2023 जशपुर, दिनांक 12 जून, 2023

छ.ग. शासन विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग के पत्र क्र. 241/स्था./वि.स.नि./2023/1649 रायपुर, एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर का पत्र क्र. 1651 दिनांक 11.05.2023 अनुसार विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के अतिरिक्त कार्य संपन्न कराने हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय एवं रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के लिए नीचे दर्शित सारणी के कॉलम क्रमांक 3 में अंकित किये गये अस्थायी पदों हेतु दिनांक01.06.2023 से 30.11.2023 तक की अवधि के लिए निम्नानुसार पदों की स्वीकृति अनुसार पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

पात्र आवेदक जिले के वेबसाईट https://jashpur.nic.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से दिनांक 13.06.2023 से दिनांक 20.06.2023 शाम 5:30 बजे तक ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।

1. सहायक ग्रेड 3 (संविदा) पद के लिए

क्र.	श्रेणी /वर्ग	जिले में कुल पद (स्थान)				योग	एकमुश्त मासिक मानदेय
		मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	अनारक्षित	02	-	-	-	02	14200/-
2	अ.जा.	-	-	-	-	00	
3	अ.ज.जा.	03	-	-	-	03	
4	अ.पि.व.	-	-	-	-	00	
योग :–		05	-	-	-	05	

2. भृत्य (कलेक्टर दर) पद के लिए

क्र.	श्रेणी /वर्ग	जिले में कुल पद (स्थान)				योग	एकमुश्त मासिक मानदेय
		मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	अनारक्षित	02	-	-	-	02	कलेक्टर दर
2	अ.जा.	-	-	-	-	00	
3	अ.ज.जा.	03	-	-	-	03	
4	अ.पि.व.	-	-	-	-	00	
योग :–		05	-	-	-	05	

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

—: शैक्षणिक अर्हताएं :—

सहायक ग्रेड–3 (संविदा) पद हेतु आवश्यक योग्यता :—

01. मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

पुरानी हायर सकेण्डरी परीक्षा के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

02. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र

तथा,

03. कम्प्यूटर में हिन्दी टाईपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति होना चाहिए। (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जावेगी)

भृत्य (संविदा) पद हेतु आवश्यक योग्यता :—

1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से कक्षा 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

मासिक मानदेय :—

उपर्युक्त तालिका के कॉलम नं. 8 में उल्लेखित राशि प्रतिमाह भुगतान होगी। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूरक भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता अथवा अन्य भत्तों की पात्रता नहीं होगी।

आयु सीमा :—

उपरोक्त सभी संवर्गीय पदोंके लिए अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष से कम तथा छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत् सभी छुटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आयु की अधिकतम सीमा वर्गवार शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के तहत होगी।

नियम एवं शर्ते :—

1. यह नियुक्ति पूर्णता अस्थायी है। जोकि नियुक्ति दिनांक से प्रारंभ होकर दिनांक 30.11.2023 तक स्वयमेव समाप्त हो जायेगी, जिसके लिए पृथक से आदेश जारी नहीं किया जावेगा।
2. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
3. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
4. आवेदक का छत्तीसगढ़ राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. आवेदक विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक एवं अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पुरा करने की स्थिति में पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही आवेदन करें। कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन में किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना दिये उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी।

6. चयनित अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय में सेवारत है, उन्हें नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त होने पर जन्मतिथि को आधार मानकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रावीण्यता में प्राथमिकता दिया जाएगा। समान अंक एवं समान जन्मतिथि होने की स्थिति में अभ्यर्भि के नाम अंग्रेजी वर्गमाला के (Alphabet) आधार पर मेटिक का निर्धारण किया जाएगा।
8. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
9. अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद पर होने के पश्चात् वह नियमितीकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा।
10. संविदा नियुक्ति के विरूद्ध दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थित देना अनिवार्य है। निर्धारित समय/पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगा।
12. यदि पूर्णांक/प्राप्तांक की जगह ग्रेड पद्धति से अगर मूल्यांकन किया गया है, तब जिस संस्था/स्कूल से परीक्षा उत्तीर्ण की गई है। उस संस्था प्रमुख से उक्त ग्रेड को पूर्णांक / प्राप्तांक एवं प्रतिशत में परिवर्तित कर प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

चयन प्रक्रिया :–

1. अभ्यर्थी द्वारा जिले की वेबसाईट https://jashpur.nic.in में ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 20.06.2023 तक फॉर्म भरा जाएगा। कार्यालय में सीधे अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान में आवश्यक जानकारी, पासपोर्ट साईज फोटो, हस्ताक्षर व अन्य दस्तावेज अपलोड करना होगा।
3. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे आवेदन के निरस्तीकरण के संबंध में पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। अतः आवेदन भरने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन के सभी कॉलम भरे हों।
4. समस्त आवश्यक दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा उक्त संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथ के बाद की तिथि में जारी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
5. पात्र–अपात्र की सूची, मेरिट सूची, आवश्यक सूचनाओं का प्रकाशन तथा चयन परीक्षा के संबंध में जानकारी जिले के वेबसाईट में प्रदर्शित किया जायेगा, इसके लिये पृथक से कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

6. ऑनलाईन आवेदन की त्रुटि सुधार हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात् 03 दिवस का समय दिया जाएगा। इस अवधि में नये आवेदन का पंजीयन नहीं हो सकेगा। सफलतापूर्वक भरे गये आवेदन का प्रिंट आउट अपने पास रखना अनिवार्य होगा।
7. दावा–आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समयावधि में अपना ऑनलाईन सुधार किया जाना होगा, इसके पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा। दावा–आपत्ति एवं मेरिट सूची के संबंध में विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किया जायेगा।
8. विज्ञापन में तथ्यात्मक त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, ऐसे त्रुटि में चयन प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी, इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
9. चयन उपरान्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन दस्तावेज का मूल दस्तावेज से मिलान किया जाएगा, यदि कोई जानकारी अथवा दस्तावेज गलत/ अस्तत्य पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी/ नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी। जांच के दौरान दस्तावेज में यदि कोई छेड़–छाड़ अथवा फर्जी पाया जाता है, तो उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
10. सहायक ग्रेड–03 (संविदा) के पद के लिए कौशल परीक्षा आयोजित की जावेगी एवं भृत्य के पद हेतु लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किया जावेगी।
11. सहायक ग्रेड–03 के पदों के लिए 60 अंक शैक्षणिक योग्यता, 20 अंक कौशल परीक्षा तथा निर्वाचन कार्य में कार्य अनुभव के लिए प्रत्येक वर्ष हेतु 04 अंक के मान से अधिकतम 20 अंक दिया जायेगा।
12. भृत्य पद के लिए 60 अंक शैक्षणिक योग्यता, 20 अंक अर्हकारी परीक्षा तथा निर्वाचन कार्य में कार्य अनुभव के लिए प्रत्येक वर्ष हेतु 04 अंक के मान से अधिकतम 20 अंक दिया जायेगा।
13. कौशल परीक्षा/अर्हकारी परीक्षा में मेरिट सूची से प्रवीण्यता क्रम के आधार पर 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा।
14. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. विवाद की स्थिति में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला–जशपुर(छ.ग.) का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–जशपुर (छ0ग0)

छत्तीसगढ़ समाचार